

① No. 2533/ चत-1-1/13.

दिनांक - 01/12/2017.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

-:: विज्ञप्ति ::-

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय स्थापना विदिशा हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल लगभग 20 नग सिम्फनी कूलर मॉडल नंबर- जम्बो स्टेण्ड एवं इन्स्टालेशन चार्ज सहित विभिन्न प्रतिष्ठित/पंजीकृत संस्थानों से म0प्र0 भण्डार क्रय एवं उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11.2 के पालन में क्रय किये जाने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 11/12/2017 को दोपहर 02:00 बजे तक है। अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदायें निविदाकर्ताओं एवं क्रय समिति जिला न्यायालय की उपस्थिति में दिनांक 11/12/2017 को शाम 05:30 बजे जिला न्यायालय विदिशा में खोली जावेगी। विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.in एवं शासकीय टेण्डर पोर्टल www.tenders.gov.in पर उपलब्ध हैं।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

-तकनीकी बिड-

कं०	सामग्री	संख्या	तकनीकी विवरण
1	Symphony Air Coller Model JUMBO-with Stand	20	ISO Certified Air Cooler contains Swing & cool facility, large water tank also with movable stand.

-वित्तीय बिड-

-:: आवश्यक निर्देश ::-

1. वित्तीय बिड (रूपयों में) समस्त कर, इंस्टालेशन चार्ज, भाड़ा इत्यादि सहित।
2. सभी प्रकार के करों एवं कय मूल्य का खुलासा एवं सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जावे।

निविदाकर्ता संस्था का नाम

कूलर की कंपनी एवं मॉडल

कं०	सामग्री विवरण	प्रति नग दर	टैक्स विवरण	मूल्य	कूलर संख्या	कुल मूल्य
1	Symphony Air Coller Model JUMBO-with Stand (including all necessary accessories and installation charge)				20	

बिड का कुल मूल्य (रूपयों में)

बिड का कुल मूल्य (शब्दों में)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

निविदाकर्ता का नाम

संपूर्ण पता

दूरभाष नं० एवं ईमेल आई०डी०

दिनांक

-:: निविदा शर्तें ::-

1. निविदा दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में जिसके अंदर दो पृथक सीलबंद लिफाफे (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) के साथ जमा किये जावेंगे। कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं की जावेगी। पोस्ट अथवा कोरियर से निविदाओं को भेजा जा सकेगा, किन्तु इस माध्यम से समय उपरांत प्राप्त निविदाओं के लिये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा उत्तदायी नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा के नाम डी0डी0/एफ0डी0आर0 के माध्यम से रूपये-10,000/- मूल्य की प्रतिभूति राशि जमा की जावेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी बिड में निविदा शर्तें मानने बाबत हस्ताक्षरित पत्र, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, सर्विस टैक्स पंजीयन, वेट रजिस्ट्रेशन, पेन नंबर, मान्य टिन नंबर, कंपनी प्रोफाईल/टर्न ओवर समाहित होगा। विगत 03 वर्षों में केन्द्र शासन/राज्य शासन/प्रतिष्ठित निजी संस्थान में कूलर की सप्लाई संबंधी जानकारी तकनीकी बिड में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. सफल निविदाकर्ता द्वारा क़य की जाने वाली सामग्री प्रदाय एवं इंस्टालेशन किये जाने के उपरांत विभागीय क़य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार सामग्री पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सामग्री मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापिस की जावेगी।
4. तकनीकी बिड का लिफाफा समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक 11.12.17 को खोला जावेगा। यदि निविदाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहता है तो निविदाकर्ता को इस बाबत संस्था द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बिड में दर्शित दस्तावेजों एवं निविदा शर्तों के मूल्यांकन पश्चात क़य समिति द्वारा बिड में दर्शित सामग्री के तकनीकी मापदंडों में सफल पाये जाने पर ही निविदाकर्ता की वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।
5. सफल निविदाकर्ता को क़य आदेश जारी होने के पश्चात क़य आदेश मूल्य के 05 प्रतिशत मूल्य की राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में डी0 डी0/ एफ0 डी0 आर0 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा के नाम जमा करानी होगी। जो सामग्री के संस्थापन होने से 60 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। उक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता को पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। सभी निविदाकर्ता निर्धारित आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्रों का पालन सुनिश्चित करें।

6. निविदाकर्ता द्वारा कूलर पर न्यूनतम 01 वर्ष की ऑनसाईट वारण्टी एवं न्यूनतम 02 वर्ष का टेक्नीकल सपोर्ट प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। वारण्टी अथवा टेक्नीकल सपोर्ट अवधि में कूलर में किसी प्रकार की समस्या आने पर 01 कार्य दिवस में ठीक कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय कर इंस्टालेशन कराया जाना होगा।
7. समस्त निविदायें तथा उनमें दर्शित दरें तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से न्यूनतम 03 माह की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
8. किसी भी समय बिना किसी कारण के संपूर्ण निविदा अथवा किसी सामग्री को निविदा से खारिज करने एवं निविदा से संबंधित सभी अधिकारी माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अधीन सुरक्षित रहेंगे।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0